

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
(पेशन और पेशनभोगी कल्याण विभाग)

20

लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 15 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

परिषय: उन्न सरकारी कर्मचारियों के पेशन और अन्य सेवानिवृति लाभ का समंजन जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उनके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए/उनकी मृत्यु हो गई।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियमावली के नियम 33 के अनुसार, पेशन की गणना हेतु, 'परिलब्धि' का अर्थ है भौतिक नियमों के नियम 6(21) (क)(न) में यथा परिभासित वह मूल वेतन जो कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृति के ठीक पहले जायगा अपनी मृत्यु के दिन प्राप्त कर रहा था। इस नियम के तहत टिप्पणी 3 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी सेवानिवृति अथवा मृत्यु के ठीक पहले असाधारण छुट्टी पर उद्योग से अनुपस्थित रहा या अयोग्य निलम्बन के अधीन रहा था, वह अवधि सेवा नहीं मानी जाती है, ऐसी छुट्टी पर जाने अथवा निलम्बित किए जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया जाया वेतन ही इस नियम के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगी। उस तरीके के संबंध में संदेश उठाए गए हैं जिसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के पेशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का समंजन किया जाएगा जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उसके बाद कार्यग्रहण किए बिना जायेंगे। इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और विनिमयित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

सरकारी कर्मचारी की क्षेणी	वह तरीका जिसके द्वारा पेशन और अन्य पेशन संबंधी लाभ का समंजन किया जाएगा
वह सरकारी कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति पर था जिसकी अवधि 1.1.2006 को अंहक सेवा के रूप में नहीं मानी जाती है और जो कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गया/उसकी मृत्यु हो गई।	केन्द्रीय सिविल सेवा(पेशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 के अनुसार, ऐसी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन ही पेशन के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगी। इस प्रकार परिकलित पेशन/कुटुम्ब पेशन को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी-एंड पी डब्ल्यू(ए) दिनांक 1/9/2008 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा और पेशनभोगी/कुटुम्ब पेशनभोगी को इसका भुगतान देय तिथि से किया जाएगा।

प्रेशन/युद्धस्थल प्रेशन/प्रेशन के सारणीकरण का
समझन १.१.२००६ के पहले तार्गत नियमों अनुसारों
के अनुसार विद्या जारी।

यह सरकारी कर्मचारी औ असाधारण प्रुटटी पर या
किसी तार्गति १.१.२००६ को अंत तक संयोग के रूप में
विद्यी जारी है और इसके बाद कार्यालय विद्या विद्या
ही तह संशोधित हो जाए। प्रत्येक मन्त्र्यु ही जहाँ

ऐसे सरकारी कर्मचारी यथा येतन १.१.२००६ रा
मन्त्रालय क्षम्य तथा संशोधित अनुसार जारी हो जाए। और इस
प्रकार मन्त्रालय क्षम्य तथा संशोधित अनुसार प्रेशन के
अनुसार परिवर्तित के क्षम्य में गिना जाएगा।

उपराने के उद्देश्यालय, परिवर्तित में सरकारी
कर्मचारी विभाग/मन्त्र्यु की तारीख को
अनुसार अंतर्गत अनुसार सामिक्षा होगी।

प्रकार विवरण प्रेशन, प्रेशन का
विभाग विभाग के कार्यालय
में विभाग अनुसार एक विभाग(R) दिनांक
मन्त्रालयों के अनुसार, विद्या
विद्या प्रेशन की विभागीय को इसका
जारी करना।

सेवानिवृत्ति पर क्षम्य
के अनुसार विभाग द्वारा होता है। विभिन्न हेतु
में विभाग विभाग द्वारा प्राप्त विभाग, परिवर्तित
अनुसार प्रेशन के उद्देश्यालय, परिवर्तित होगी। यह
अनुसार प्रेशन तथा तक संशोधित तरीं की जाएगी
जब तक कि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं
हो जाती और उस पर अंतिम आदेश जारी नहीं हो
जाती।

इस सरकारी कर्मचारी औ १.१.२००६ के
के अनुसार या और इसके बाद कार्यालय विद्या
ही विद्यानिवृत्ति हो जाए।

कर्मचारी विभाग/मन्त्र्यु के अनुसार विभागीय को जारी किया जाएगा।

३. यह सरकारी कर्मचारी कार्यालय विभागीय की विभागीय को जारी किया जाएगा। जी-३३/८५/२०१० दिनांक
भवन विभागीय की विभागीय को जारी किया जाएगा। यह विभागीय की विभागीय को जारी किया जाएगा।
४. सरकारी विभागीय की विभागीय को विभागीय प्रभाग संग के संबंध में ये अंदेशा भारत के
विभागीय और विभागीय परिवर्तित विभागीय से जारी किया जाते हैं।

तृतीय घोष

(तृतीय घोष)
निटेशक

१. सभी मंत्रालय/विभाग
२. सीजीए/सीएनी/सीपीएओ
३. स्टैंडर्ड डाक सूची वे अनुसार